

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक... 138
दिनांक... 22/06/11

विषय: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के कार्यों की निविदाओं में अमानत राशि (Earnest Money) के संशोधन बाबत ।

मण्डल के 32वां सम्मिलन दिनांक 20.05.2011 के संकल्प क्रमांक 896 24/32/05/2011 के पद संख्या क्र. 24 में लिये गये निर्णयानुसार मंडल द्वारा आमंत्रित सभी प्रकार की निविदाओं हेतु ली जाने वाली अमानत राशि (Earnest Money) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	विवरण	अमानत राशि हेतु वर्तमान में प्रचलित दर	प्रस्तावित अमानत राशि की दरें
1	रु. 25.00 लाख तक की निविदा के लिये	1.50 %	2.00 %
2	रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 करोड़ तक की निविदा के लिये	0.75 %	1.00 % न्यूनतम रु. 50,000.00
3	रु. 10.00 करोड़ से अधिक की निविदा के लिये	5.00 लाख	0.50 % न्यूनतम रु. 10.00 लाख एवं अधिकतम रु. 50.00 लाख

ये परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जावेगा ।

22/6/11
आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

रायपुर, दिनांक 22/06/2011

10/10/11/आ.आ./मुख्या./ 11,
प्रकोष्ठ,

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
4. उपायुक्त I (योजना)/ II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
7. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
9. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक-1/2/3/राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/परि.संभाग दुर्ग/बिलासपुर/ धमतरी/ राजनांदगाँव/ जगदलपुर/ रायगढ़/ अंबिकापुर ।

22/6/11

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर